escription U The Other Comments of the Party of the Party

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री केशवसिंह गुर्जर। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

निविचन आयोग संभावना का भारत राजीनामा फरियादी गंगासिंह स्वयं उप0। उसने स्वयं पहचान पत्र पेश किया। उसने अभियुक्त से रा 部一

Construction देए गए निर्देश के Afcons विवाद का पूर्ण दिए गए ब दृष्टात मध्य Varkey न्याय पक्षों क रखते हुये प्रकरण में मध्यरथता के माध्यम से उभय पक्षों व रखते हुये प्रकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्य रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्य Infrastructure Limited Vs Cheriyan Vark Company private Limited (2010)8 SSC 24 उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की के लिए एक उपयुक्त प्रकरण

द्वारा प्रशिक्षित उनके किया है। उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर मध्यस्थ श्री पी०सी० आर्य, एएसजे गोहद का चुनाव

आज 乍 अधिवक्ताओं मध्यस्थ उभय पक्ष 'असफल उनके जाये। का परिणाम सफल/ उपस्थित भेजा आदेश उभय पक्षों व समक्ष कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को बजे मध्यस्थ के आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें। निदेशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता सम्प्रेषण 3 अतः मध्यस्थता 25.11.16 动 हस्ताक्षर

के अतिवेदन कार्यमही को मीडियेशन प्रकरण आगामी दिनांक 22.12.16 की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

Judipin Magnistrate First Class
Gerhad distr. Bhind (M.P.)

प्नश्च:


उभयपक्ष पूर्वतत।

प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

उनके गया आवेदन ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र अतर्गत धारा पहचान किया अभियुक्तगण की प अनुमित 部 बाबत् मय राजीनामा छायाचित्र अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता एव धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, अधिवक्ता श्री केशवसिह गुर्जर द्वारा की गई। द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमिति फरियादी गंगासिंह की फरियादी की पहचान अतगत

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

दवाब, लोभ-लालच किया प्रकट दाशित किया जाना में समर्थ भय, किसी फरियादी संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने आशय से फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से



1

26

अपराध आशय 中 दण्डनीय ध्यान न्यायोचित दर्शित होता 15 क रखने अधीन मधुर सबध रर न के उददेश्य सबध 325 中 प्रशासन अभियुक्तगण पर भाठद०वि० की धारा 294, का अभियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के जाना अनुमति आवेदन स्वीकार किया सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक हुये राजीनामा

आधार किया जाता व अभियुक्तगण जते है। 18 आरोपें से राजीनामा पत्र के स्वीकार प्रभाव दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जिसका अपराध राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन जाती 15 अभियुक्तगण को धारा 294, 325 भा0द0वि पर उपशमन की अनुमिति प्रदान की ज अतः

प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं। प्रकरण में आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे। Judicial Manneth Right Class
Golpaddistration of the Control of th

Vitness No.